संख्या-डीजीटी-ई-13019/02/2017-हिन्दी
भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय
***

रोजगार कार्यालय भवन,
पूसा परिसर, नई दिल्ली,
दिनांक: 23जनवरी, 2024

परिपत्र

विषयः- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध में।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि के लिए सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें। परंतु देखने में आ रहा है कि महानिदेशालय के अनुभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा धारा 3(3) के तहत आनेवाले दस्तावेज केवल अंग्रेजी अथवा हिंदी में जारी किये जा रहे है जबकि धारा 3(3) के अंतर्गत निम्नलिखित 14 दस्तावेज द्विभाषीय (हिंदी तथा अंग्रेजी) में ही जारी किए जाएः

1. *सामान्य आदेश/General Orders*
2. *संकल्प/Resolution*
3. *परिपत्र/Circulars*
4. *नियम/Rules*
5. *प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन/Administrative & other Reports*
6. *प्रेस विज्ञप्तियां/Press Release*
7. *संविदाएं/Contracts*
8. *करार/Agreements*
9. *अनुज्ञप्तियां/Licenses*
10. *निविदा प्ररुप/Tender Form*
11. *अनुज्ञा-पत्र/Permits*
12. *निविदा सूचनाएं/Tender Notices*
13. *अधिसूचनाएं/Notification*
14. *संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज-पत्र/Reports & documents to be laid before the Parliament*

अतः महानिदेशालय के सभी प्रभाग प्रमुखों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के क्षेत्रीय निदेशक व कार्यालयाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले उपरोक्त सभी कागजात द्विभाषी में एक साथ जारी करें और जारी कराते समय यह भी ध्यान रखे कि हिंदी रूपान्तर अंग्रेजी के ऊपर हो।

इसे **उप महानिदेशक महोदय** के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज

गुलाब चंद्रा

(गुलाब चंद्रा)

सहा.निदेशक, राजभाषा (प्रभारी)

सेवा में,

1.प्रशिक्षण महानिदेशालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग/एकक

2.प्रशिक्षण महानिदेशालय के समस्त अधीनस्थ कार्यालय

प्रतिः सूचनार्थ

1. महानिदेशक/अपर सचिव के पीएसओ
2. उप महानिदेक (मुख्यालय) के प्र.नि. सचिव
3. उप महानिदेक (दक्षिण) के प्र.नि. सचिव
4. उप महानिदेक (पूर्व) के प्र.नि. सचिव
5. संयुक्त निदेशक (सीएफआई)
6. सहा. निदेशक, राजभाषा अनुभाग, एमएसडीई

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) की धारा 3 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित सभी दस्तावेज आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी अथवा हिंदी में जारी होने चाहिए–

- सामान्य आदेश / General Orders
- संकल्प / Resolution
- परिपत्र / Circulars
- नियम / Rules
- प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन / Administrative & other Reports
- प्रेस विज्ञप्तियां / Press Release
- संविदाएं / Contracts
- करार / Agreements
- अनुज्ञप्तियां / Licences
- निविदा प्ररूप / Tender Form
- अनुज्ञा–पत्र / Permits
- निविदा सूचनाएं / Tender Notices
- अधिसूचनाएं / Notificatons
- संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज–पत्र / Reports & documents to be laid before the Parliament

उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है।

****